''माह जून 2011 के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न तिथियों में सम्पन्न हुयी मण्डी सचिवों के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त''

बैठक में कृषि वर्ष 2010–11 के माह मई 11 तक मण्डी शुल्क, विकास सेस एवं अन्य आय, कृषि उत्पादवार भाव, अवशेष मण्डी शुल्क की वसूली की प्रगति, प्रवर्तन कार्यवाहियों के अन्तर्गत शमन शुल्क की वसूली एवं दुकानों के आवंटन के प्रगति आदि की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान मुख्य रूप से निम्न निर्देश दिये गये :–

1– दुकान आवंटन

परिषद मुख्यालय पर आयोजित समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं सचिवों की बैठक में निर्देश दिये जाते रहे हैं कि सम्भाग के अन्तर्गत आने वाली मण्डी समितियों में रिक्त दुकानों का आवंटन कर दिया जाये तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाये कि सम्भाग के अन्तर्गत सभी मण्डी स्थलों में रिक्त दुकानों का आवंटन कर दिया गया है और अब कोई दुकान आवंटन से रिक्त नहीं है तथा किसी दुकान पर अवैध कब्जा नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी भी सम्भाग से प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

माह मई 2011 की सूचना के अनुसार सम्भाग मेरठ में 157, सहारनपुर में 51, आगरा में 353, अलीगढ़ में 91, बरेली में 168, मुरादाबाद में 136, कानपुर में 214, झाँसी में 362, इलाहाबाद में 42, वाराणसी में 189, मिर्जापुर में 35, बस्ती में 22, गोरखपुर में 30, आजमगढ़ में 46, लखनऊ में 104, फैजाबाद में 336 दुकानें अभी भी रिक्त हैं।

इस सम्बन्ध में समस्त उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन)/सचिवों से प्रगति की जानकारी मण्डी समितिवार की गयी। पाया गया कि अधिकांश मण्डी समितियों में आवंटन की तिथि माह जून 2011 के अन्तिम सप्ताह में नियत है। समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) तथा सचिवों को निर्देशित किया गया कि नियत तिथि में आवंटन कराया जाये और इसके उपरान्त यदि आवंटन हेतु दुकानें अवशेष रह जाती हैं तो सभी संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं सचिव माह जुलाई 2011 तक प्रत्येक दशा में रिक्त दुकानों का आवंटन करायें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये अन्यथा सचिवों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। पूर्व निर्देशों के क्रम में इस हेतु प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाये।

2– औसत भाव

सम्भाग के अन्तर्गत आने वाली मण्डी समितियों में एक ही जिन्स के औसत भावों में काफी अन्तर होने एवं मण्डी शुल्क अपवंचन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत पूर्व बैठकों में सं0उ0नि0 (प्र0/विप0) को निर्देश दिये जाते रहे कि अपने स्तर पर समीक्षा कर उनमें सुधार लाया जाये परन्तु माह मई 2011 के प्रस्तुत विवरण से यह परिलक्षित हो रहा है कि इनमें सुधार आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन)/सचिवों को निर्देशित किया गया कि

इनमें सुधार लाया जाये तथा एक ही जिन्सों के औसत भावों में 25–30% से अधिक अन्तर का समुचित कारण न होने पर धनराशि की वसूली की जायेगी।

3– अवशेष मण्डी शुल्क

समीक्षा में, पाया गया कि मण्डी समितियों में दिनांक : 30.06.2010 की तुलना में दिनांक : 31.05.2011 में अवशेष मण्डी शुल्क में वृद्धि हुई है। यह उचित नहीं है क्योंकि परिषद मुख्यालय पर आयोजित बैठकों में वसूली के निर्देश दिये जाते रहे हैं। समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन)/सचिवों को निर्देश दिये गये कि व्यापारियों पर बकाया धनराशि की वसूली दिनांक : 30.06.2011 तक अवश्य कर ली जाये। साथ ही संस्थाओं पर अवशेष धनराशि की वसूली भी प्रयास कर 30.06.2011 तक अवश्य कर ली जाये।

- जिन मामलों में माननीय न्यायालयों का कोई स्थगन आदेश नहीं है उनमें वसूली तत्काल की जाये।
- जिन मामलों में माननीय न्यायालयों का आदेश है उसका विधिवत् परीक्षण कर वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जिन मामलों में आर0सी0 जारी की गयी है उसके लिए जिला प्रशासन से सम्पर्क कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4– प्रवर्तन कार्यवाहियॉ

प्रदेश के बाहर से आने वाली आवक को अभिलेखों में दर्ज न करके अवैध व्यापार संचालित होने एवं उस पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रर्वतन कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्देश गत बैठकों में दिये जाते रहे हैं परन्तु समीक्षा बैठक में पाया गया कि अधिकांश मण्डी समितियों द्वारा प्रवर्तन कार्यवाहियों में या तो कमी की गयी है या दोनों सालों में कोई प्रवर्तन की कार्यवाही नहीं की गयी है जो सचिवों के शिथिल नियन्त्रण का परिचायक है। अतः समस्त संभागीय उपनिदेशकों (प्रशासन/विपणन)/सचिवों को निर्देशित किया गया कि इस हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा शमन शुल्क की वसूली में वृद्वि की जाये। अन्यथा सचिवों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

5– 10×10 वर्ग किमी0 में मण्डी स्थलों की स्थापना

प्रदेश के कृषकों की आय दो गुना किये जाने के उद्देश्य से बनायी गयी इस योजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर उपमण्डी स्थल के निर्माण किये जाने व आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थलों की सूची मण्डी समितियों को उपलब्ध करायी गयी थी। जिसके अन्तर्गत सभी संभागों से इस हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इन प्रस्तावों पर उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा जॉच कर लगभग 325 स्थलों को उपर्युक्त पाया गया है। जिसमें मण्डी निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परिषद मुख्यालय से जारी (M.O.U.) का प्रारूप पत्र सभी सचिवों एवं संभागीय

उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को वितरित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि (M.O.U.) हस्ताक्षरित करने की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाये।

पंचायतीराज एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त अनापत्ति स्थलों की सूची में से उपयुक्त पाये गये स्थलों के अतिरिक्त शेष स्थलों हेतु पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध करायें। सभी संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं सचिव को निर्देशित किया गया कि उपयुक्त स्थलों में जिनमें मण्डी निर्माण होना है उनमें अभी से व्यापारियों के लाईसेंस बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये जिससे निर्माण उपरान्त व्यापार स्थानान्तरण हो जाये और कृषकों को उनके उत्पाद का उचित लाभ प्राप्त हो सके।

यदि उपरोक्त के परिपेक्ष्य में कोई गतिरोध पैदा होता है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें और जिनका निस्तारण अपने स्तर से न हो सके उसे परिषद मुख्यालय को सन्दर्भित किया जाये।

6— द्वितीय आवक का सत्यापन

विगत माहों में आयोजित समीक्षा बैठकों में सम्भागीय उपनिदेशकों(प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि वे मण्डी समितियों में आने वाली द्वितीय आवक का सत्यापन कराकर रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करायें। जिस हेतु अधिकांश सम्भागों से सूचनायें प्राप्त नही करायी गयी हैं। सम्भागीय उपनिदेशकों(प्रशासन/विपणन) को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही सचिवों को भी निर्देश दिये गये कि वे मण्डी में होने वाली द्वितीयक आवक के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डी समिति उत्पाद की प्राथमिक आवक पर मण्डी शुल्क की वसूली होने की पुष्टि/सत्यापन भी कराना सुनिश्चित करें।

01.07.11
(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : नियो0/अनु0/बैठक/1614/11— 2 दिनांक : 01 जुलाई 2011

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, निदेशक/अपर निदेशक(प्रशासन)/वित्त नियंत्रक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
(2) समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) मुख्यालय/उपनिदेशक (विधि)/उपनिदेशक (मण्डी सर्वेक्षण) मण्डी परिषद, मुख्यालय को अवलोकनार्थ।
(3) समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे कार्यवृत्त की एक–एक प्रति अपने अधीनस्थ मण्डी समितियों को तत्काल उपलब्ध कराते हुये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
(4) प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) मण्डी परिषद, मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

अपर निदेशक (प्रशासन)
01.07.11